न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना (जिला बाड़मेर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री लाखाराम (आर.ए.एस.)

राजस्व वादपत्र संख्या :– 42/2022

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. मोटाराम पुत्र अलसाराम 2. मानाराम पुत्र अलसाराम, सभी जातियान जाट, निवासी आदर्श लूखू, तहसील– धोरीमन्ना, जिला–बाड़मेर।		1. लाखाराम पुत्र अलसाराम, जाति–जाट, निवासी–आदर्श लूखू, तहसील–धोरीमन्ना, जिला–बाड़मेर, राजस्थान। 2. शाखा प्रबंधक, जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा धोरीमन्ना, तहसील–धोरीमन्ना। 3. शाखा प्रबंधक दी सैन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा धोरीमन्ना, तहसील–धोरीमन्ना। 4. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार, धोरीमन्ना, जिला–बाड़मेर, राजस्थान।

राजस्व वाद अंतर्गत धारा 49, 89(ख), 188 एवं 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 वास्ते चकबंदी (अदला–बदली), क्षेत्रफल व सीमाएं परिवर्तन, स्थायी निषेधाज्ञा।

तारीख रजू:– 09/06/22

अधिवक्तागणः–

1. श्री देवाराम चौधरी, अधिवक्ता वादीगण
2. श्री रामनिवास विश्नोई, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 01

–::निर्णय::–

दिनांकः– 03/02/23

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री देवाराम चौधरी द्वारा वादपत्र अंतर्गत धारा 49, 89(ख), 188 एवं 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का पेश कर निवेदन किया कि वादी संख्या 01 की खातेदारी (कृषि भूमि) के खेत ग्राम आदर्श लूखू पटवार क्षेत्र लूखू तहसील धोरीमन्ना के खेत खसरा नम्बर 142/6 क्षेत्रफल 1.0522 हैक्टेयर (रकबा 6–10 बीघा) किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 144/3 क्षेत्रफल 3.6341 हैक्टेयर रकबा 22–09 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 144/6 क्षेत्रफल 0.7284 हैक्टेयर रकबा 4–10 बीघा किस्म बारानी दोयम कुल क्षेत्रफल 5.4147 हैक्टेयर रकबा 33–09 बीघा का [illegible] हुआ है जो आगे वादी की आराजी के नाम से संबोधित किया जाएगा। जिसकी जमाबंदी [illegible], नक्शा की प्रति संलग्न है। वादी संख्या 02 की खातेदारी के खेत ग्राम आदर्श लूखू पटवार क्षेत्र लूखू तहसील धोरीमन्ना के खेत खसरा नम्बर 142/5 क्षेत्रफल 0.4775 हैक्टेयर रकबा 2–19 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2023.02.14 11:18:00 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना
सत्यमेव जयते
जिला-बाड़मेर

03/02/23
सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

नम्बर 144/2 क्षेत्रफल 4.9372 हैक्टेयर रकबा 30–10 बीघा किस्म बारानी दोयम, कुल क्षेत्रफल 5.4147 हैक्टेयर रकबा 33–09 बीघा का आया हुआ है जो आगे वादग्रस्त आराजी के नाम से संबोधित किया जाएगा। जिसकी जमाबंदी नकल, नक्शा की प्रति संलग्न है। प्रतिवादी संख्या 01 खातेदारी के खेत ग्राम आदर्श लूखू पटवार क्षेत्र लूखू तहसील धोरीमन्ना के खेत खसरा नम्बर 142/7 क्षेत्रफल 3.2375 हैक्टेयर रकबा 20–00 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 144/4 क्षेत्रफल 2.1772 हैक्टेयर रकबा 13–09 बीघा किस्म बारानी दोयम, कुल क्षेत्रफल 5.4147 हैक्टेयर रकबा 33–09 बीघा का आया हुआ है जो आगे वादग्रस्त आराजी के नाम से संबोधित किया जाएगा। जिसकी जमाबंदी नकल, नक्शा की प्रति संलग्न है। वादग्रस्त आराजी मूल खसरा नम्बर 142, 144 में बंटवारा से विभक्त होकर सातों भागों में विभाजित हुए हैं खसरा नम्बर 142/6 क्षेत्रफल 1.0522 हैक्टेयर रकबा 6–10 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 144/3 रकबा 22–09 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 144/6 रकबा 4–10 बीघा किस्म बारानी दोयम, कुल रकबा 33–09 बीघा, वादी संख्या 01 मोटाराम, खसरा नम्बर 142/5 रकबा 2–19 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 144/2 रकबा 30–10 बीघा किस्म बारानी दोयम, कुल रकबा 33–09 बीघा, वादी संख्या 02 मानाराम तथा खसरा नम्बर 142/7 रकबा 20–00 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 144/4 रकबा 13–09 बीघा किस्म बारानी दोयम, कुल रकबा 33–09 बीघा प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज होकर राजस्व रिकॉर्ड में अलग–अलग भाग जारी हुए हैं। वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 142/6, 144/3, 144/6, 142/5, 144/2, 142/7, 144/4 वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 के खसरों का विभाजन कर दिया जो टुकड़ों में हो गया था तथा उपरोक्त खसरों में विभाजन करवाते समय गलती से प्रशासन गांवों के संग अभियान, में आनन–फानन, बिना सीमाज्ञान, बिना मौका देखे सहमति बंटवारा पेश किया जिसमें मौके के कब्जे काश्त को ध्यान में नहीं रखा गया। वादी संख्या 01 की वादग्रस्त आराजी खासरा नम्बर 142/6 का राजस्व रिकॉर्ड में रकबा 6–10 बीघा रखा गया जबकि वास्तविक मौके, कब्जे काश्त अनुसार रकबा 10–01 बीघा जो मौके पर ज्यादा, राजस्व रिकॉर्ड में कम, खसरा नम्बर 144/3 का राजस्व रिकॉर्ड में रकबा 22–09 बीघा रखा गया जबकि वास्तविक मौके, कब्जे काश्त अनुसार रकबा 15–04 बीघा जो मौके पर कम, राजस्व रिकॉर्ड में ज्यादा, खसरा नम्बर 144/6 का राजस्व रिकॉर्ड में रकबा 4–10 बीघा रखा गया जबकि वास्तविक मौके, कब्जे काश्त अनुसार रकबा 8–04 बीघा जो मौके पर ज्यादा, राजस्व रिकॉर्ड में कम, वादग्रस्त आराजी वादी संख्या 02 का खसरा नम्बर 142/5 का राजस्व रिकॉर्ड में रकबा 2–19 बीघा रखा गया जबकि वास्तविक मौके, कब्जे काश्त अनुसार रकबा 1–03 बीघा जो मौके पर कम, राजस्व रिकॉर्ड में ज्यादा, खसरा नम्बर 144/2 का राजस्व रिकॉर्ड में रकबा 30–10 बीघा रखा गया जबकि वास्तविक मौके, कब्जे काश्त अनुसार रकबा 32–06 बीघा जो मौके पर ज्यादा, राजस्व रिकॉर्ड में कम, तथा वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 01 के खसरा नम्बर 142/7 का राजस्व रिकॉर्ड में रकबा 20–00 बीघा रखा गया जबकि वास्तविक मौके, कब्जे, काश्त अनुसार रकबा 18–05 बीघा जो मौके पर कम, राजस्व रिकॉर्ड में ज्यादा, खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2023.02.14 11:18:00 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना
सत्यमेव जयते
जिला-बाड़मेर

09/02/23

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

नम्बर 144/4 का राजस्व रिकॉर्ड में रकबा 13–09 बीघा रखा गया जबकि वास्तविक मौके, कब्जे काश्त अनुसार रकबा 15–04 बीघा जो मौके पर ज्यादा, राजस्व रिकॉर्ड में कम है। वादी संख्या 01 की वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 142/6 रकबा 10–01 बीघा, खसरा नम्बर 144/3 रकबा 15–04 बीघा खसरा नम्बर 144/6 रकबा 8–04 बीघा तथा वादग्रस्त आराजी वादी संख्या 02 का खसरा नम्बर 142/5 रकबा 1–03 बीघा, खसरा नम्बर 144/2 रकबा 32–06 बीघा पर वादीगण का कब्जा काश्त, रहवासीय ढाणियों, टांके, बेरा आदि बने हुए है तथा वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 01 के खसरा नम्बर 142/7 रकबा 18–05 बीघा, खसरा नम्बर 144/4 रकबा 15–04 बीघा कब्जा कातश रहवासीय ढाणी, टांका, बेरा आदि बने हुए है। रकबा कम व ज्यादा होने से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 के आपस में ढाणियां, बेरे, पुरानी बाड़े, बाड़ों पर लगे पुराने पेड़–पौधों आदि परिवर्तन हो रहे हैं जिससे वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 को बाड़ करने, सिंचाई करने में असुविधा हो रही है तथा धन, समय, प्राकृतिक सौंदर्य आदि व्यर्थ हो रहा है।

वादग्रस्त आराजी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 तक चकबंदी करवाना चाहते हैं जो वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 के सुविधा रहेगी खेत एक साथ रह जाएगा, जिसमें वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 के फसल लेने, हल जौतने, सिंचाई के लिए सुविधा रहेगी तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 के खेत की रूखवाली के जगह–जगह पर तारबंदी नहीं करनी पड़ेगी। खेत कम खराब होगा समान रूप से खद–बीच आदि डाला जाएगा धन व समय की बचत होगी, प्राकृतिक सौंदर्य बना रहेगा तथा वादग्रस्त आराजी वादी संख्या 01 खसरा नम्बर 142/6 रकबा 10–01 बीघा, खसरा नम्बर 144/3 रकबा 15–04 बीघा खसरा नम्बर 144/6 रकबा 8–04 बीघा पर कब्जा, काश्त है जो परिशिष्ट "ए" में बरंग लाल से दर्शाया गया है, वादग्रस्त आराजी वादी संख्या 02 का खसरा नम्बर 142/5 रकबा 1–03 बीघा, खसरा नम्बर 144/2 रकबा 32–06 बीघा पर कब्जा–काश्त है जो परिशिष्ट "ए" भाग 2 में बरंग हरा से दर्शाया गया है तथा वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 01 के खसरा नम्बर 142/7 रकबा 18–05 बीघा, खसरा नम्बर 144/4 रकबा 15–04 बीघा पर कब्जा–काश्त है जो परिशिष्ट "ए" भाग 2 में बरंग गुलाबी से दर्शाया गया है इन खसरों के बदले खसरा नम्बर 142/5 में वादी संख्या 02 मानाराम रकबा 1–16 बीघा व खसरा नम्बर 142–7 में प्रतिवादी संख्या 1 लाखाराम रकबा 1–15 बीघा भूमि वादी संख्या 01 मोटाराम के खसरा नम्बर 142/6 को देंगे, खसरा नम्बर 144/3 वादी संख्या 01 मोटाराम में से रकबा 7–05 बीघा वादी संख्या 02 मानाराम को खसरा नम्बर 144/2 में देंगे, खसरा नम्बर 144/2 वादी संख्या 02 मानाराम रकबा 3–14 बीघा खसरा नम्बर 144/6 वादी संख्या 1 मोटाराम व रकबा 1–15 बीघा खसरा नम्बर 144/4 प्रतिवादी संख्या 1 लाखाराम को देंगे सभी खसरों का स्थान, किस्म समान बाजार मूल्य व डीएलसी समान एक ही राजस्व ग्राम में स्थित है, इस प्रकार वादीगण की भूमि एक चक करने का वाद पेश करना आवश्यक हो गया है। वादीगण की वादग्रस्त आराजी ग्राम आदर्श लूखू के खसरा नम्बर 142/5 का रकबा 1–16 बीघा कम वादी संख्या 02 मानाराम का होगा, खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2023.02.14 11:18:00 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर सत्यमेव जयते

03/02/23
सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

नम्बर 142/7 का रकबा 1–15 बीघा कम प्रतिवादी संख्या 01 लाखाराम का होगा, जो दोनों खसरों का रकबा खसरा नम्बर 142/6 वादी संख्या 01 मोटाराम के खसरे में जोड़ा जाना प्रस्तावित है उक्त तीनों खसरों का क्षेत्रफल व सीमाएं परिवर्तन आपस में परिवर्तन व एक चक करने की आवश्यकता है, ग्राम आदर्श लूखू के खसरा नम्बर 144/3 का रकबा 7–05 बीघा कम वादी संख्या 01 मोटाराम का होगा जो खसरा नम्बर 144/2 वादी संख्या 02 मानाराम रकबा 3–14 बीघा खसरा नम्बर 144/6 में वादी संख्या 01 मोटाराम को रकबा 1–15 बीघा खसरा नम्बर 144/4 प्रतिवादी संख्या 01 लाखाराम को देंगे/जोड़ा जाना प्रस्तावित है उक्त चारों खसरों का क्षेत्रफल व सीमाएं आपस में परिवर्तन व एक चक करने की आवश्यकता है। अतः परिशिष्ट "ए" भाग 1 अनुसार राजस्व रिकॉर्ड व परिशिष्ट "ए" भाग 2 अनुसार लट्ठा नक्शा तरमीम दुरूस्त की जाए, जो वाद पत्र के अभिन्न अंग, अंश व अंतिम पेज पढ़ा जाए, इसलिए क्षेत्रफल व सीमाएं परिवर्तन का वाद पेश है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर वादग्रस्त आराजी में वादीगण चकबंदी (अदला–बदली), क्षेत्रफल व सीमाएं परिवर्तन करवाने के विधिक अधिकारी है। इसके साथ ही, वादीगण अपने पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी हैं कि उपरोक्त वर्णित चकबंदी (अदला–बदली) क्षेत्रफल व सीमाएं परिवर्तन में किसी प्रकार की दखअंदाजी नहीं करे और न ही वादीगण के हिस्से व बंट पर जबरन कब्जा करने से प्रतिवादीगण को पाबंदित करवाएं, जिसकी पूर्ति यह वाद स्थायी निषेधाज्ञा का पेश है। बिनायदावा जब वादग्रस्त आराजी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 के खातेदारी में अंकित हुई तब, अरसा 15 रोज पूर्व प्रतिवादी संख्या 01 व उनके परिवार के सदस्यों ने वादीगण को भूमि से वंचित रखने के लिए बैचान, अवैध कब्जा करने की धमकियां दी गई तब प्रतिवादीगण वादीगण की भूमि पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश की तब वादीगण को उनके कब्जे काश्त में बेदखल करने की कोशिश की गई तब–तब वादकरण बमुकाम ग्राम आदर्श लूखू क्षेत्र लूखू तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में पैदा हुआ है तब वादीगण को यह वाद लाना लाजमी हो गया है। वादग्रस्त आराजी ग्राम आदर्श लूखू पटवार क्षेत्र लूखू तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में स्थित है इसलिए हस्तगत वाद श्रीमानजी के श्रवण व क्षेत्राधिकार में है। यह वाद अंतर्गत धारा 49, 89ख, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत होने से निश्चित कोर्ट फीस 4/– के स्टाम्प पेश है और यह वाद अंदर म्याद पेश है। अनुतोष अतः वादीगण की इस्तदुआ है कि निम्नांकित डिक्री बहक वादीगण और प्रतिवादीगण के खिलाफ फरमायी जावें। (क) पटवार मण्डल लूखू ग्राम आदर्श लूखू के वादी संख्या 01 खसरा नम्बर 142/6 रकबा 10–01 बीघा, खसरा नम्बर 144/3 रकबा [illegible] बीघा खसरा नम्बर 144/6 रकबा 8–04 बीघा पर कब्जा–काश्त, वादग्रस्त आराजी वादी संख्या 02 का खसरा नम्बर 142/5 रकबा 1–03 बीघा, खसरा नम्बर 144/2 रकबा [illegible]–06 बीघा पर कब्जा, काश्त तथा वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 01 के खसरा नम्बर 142/7 रकबा 18–05 बीघा, खसरा नम्बर 144/4 रकबा 15–04 बीघा पर कब्जा, काश्त अनुसार अदली–बदली की जाए। जो परिशिष्ट "ए" भाग 1 प्रस्तावित रकबा बीघा/हैक्टेयर परिशिष्ट "ए" भाग 2 प्रस्तावित बरंग

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2023.02.14 11:18:00 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना जिला–बाड़मेर

03/02/23
सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

अनुसार चकबंदी की जाए। (ख) वादग्रस्त आराजी ग्राम आदर्श लूखू के खसरा नम्बर 142/5 का रकबा 1–16 बीघा कम वादी संख्या 02 मानाराम का होगा, खसरा नम्बर 142/7 का रकवा 1–15 बीघा कम प्रतिवादी संख्या 01 लाखाराम का होगा, जो दोनों खसरों का रकवा खसरा नम्बर 142/6 वादी संख्या 01 मोटाराम के खसरे में जोड़ा जाना प्रस्तावित, खसरा नमब्र 144/3 का रकबा 7–05 बीघा कम वादी संख्या 01 मोटाराम का होगा जो खसरा नम्बर 144/2 वादी संख्या 02 मानाराम रकबा 3–14 बीघा खसरा नम्बर 144/6 में वादी संख्या 01 मोटाराम को, रकबा 1–15 बीघा खसरा नम्बर 144/4 प्रतिवादी संख्या 01 लाखाराम को देंगे/जोड़ा जाना प्रस्तावित है उक्त सातों खसरों का क्षेत्रफल व सीमाएं आपस में परिवर्तन व एक चक की जाए तथा परिशिष्टि "ए" भाग 1 अनुसार राजस्व रिकॉर्ड व परिशिष्ट "ए" भाग 2 अनुसार लट्ठा नक्शा तरमीम दुरूस्त की जाए, उक्त सातों खसरों का क्षेत्रफल व सीमाएं आपस में परिवर्तन व एक चक जाएं एवं इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में नामांतरकरण दर्ज किया जाए। (स) वाद चकबंदी सीमा परिवर्तन के बाद वादीगण को प्राप्त होने वाली भूमि में प्रतिवादीगण उनके परिवार के सदस्य व प्रतिनिधि किसी प्रकार की दखलअंदाजी व हस्तक्षेप, बाधा व परिवर्तन नहीं करें तथा वादीगण को अपने कब्जे काश्त की भूमि तक आने–जाने में किसी प्रकार की बाधा पैदा नहीं करें राजस्व व मौके पर रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखें, जिस हेतु प्रतिवादीगण उनके परिवार के सदस्य व प्रतिनिधि को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंदित किया जावे। अन्य सहायता जो वाद की जांच से वादीगण के पक्ष में प्रमाणित हो वो वादीगण को दिलवाई जावे और धारा 209 रा.का.अधि. सपठित आदेश 7 नियम 7 व सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत वादीगण इस्तदुआ प्राप्त करने का हकदार बनते हो वो दिलवाई जावे।

वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर किया गया और प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन रजि. डाक से तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 ता 03 बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री रामनिवास विश्नोई द्वारा वकालतनामा मय इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से इकबालिया जवाबदावा पेश होने से वादीगण के समस्त कथनों को स्वीकार करने के कारण हस्तगत प्रकरण में तनकियात की विरचना नहीं की जाकर पत्रावली को साक्ष्य में नियत किया गया। साक्ष्य के दौरान वादी मोटाराम का साक्ष्य शपथ–पत्र पीडब्ल्यू–01, वादी मानाराम का साक्ष्य शपथ–पत्र पीडब्ल्यू–02, प्रस्तुत किए गए। जिन्हें सामिल मिसल किया गया। वादी मानाराम तथा वादी मोटाराम के बयानों को कलमबद्ध किया गया। साक्ष्य के दौरान आवश्यक दस्तावेजात प्रस्तुत किया गया। प्रदर्श–पी–01 ग्राम आदर्श लूखू के खाता संख्या 44 की जमाबंदी वर्ष 2021, प्रदर्श पी–02 ग्राम आदर्श लूखू के खसरा संख्या 142/6 का भू–नक्शा, प्रदर्श पी–03 ग्राम आदर्श लूखू के खसरा संख्या 144/6 का भू–नक्शा, प्रदर्श पी–04 ग्राम–आदर्श लूखू के खसरा संख्या 144/3 का भू–नक्शा, प्रदर्श पी–05 ग्राम आदर्श लूखू के खाता संख्या 41 की जमाबंदी वर्ष 2021, प्रदर्श पी–06 ग्राम–आदर्श लूखू के खसरा संख्या 142/5 का भू–नक्शा, प्रदर्श पी–07 ग्राम–आदर्श लूखू के खसरा संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2023.02.14 11:18:00 IST
Reason: Self Attested

03/02/23
सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

सहायक कलक्टर ... जिला–बाड़मेर

144/2 का भू–नक्शा, प्रदर्श पी–08 ग्राम–आदर्श लूखू के खाता संख्या 53 की जमाबंदी वर्ष 2021, प्रदर्श पी–09 ग्राम आदर्श लूखू के खसरा संख्या 142/7 का भू–नक्शा, प्रदर्श पी–10, ग्राम आदर्श लूखू के खसरा संख्या 144/4 भू नक्शा को प्रदर्शित किया गया। साक्ष्य वादी ओर पेश नहीं करने पर पत्रावली पर साक्ष्य वादी को बन्द किया गया तथा प्रतिवादी साक्ष्य के दौरान प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा साक्ष्य शपथ–पत्र डीडब्ल्यू–01 प्रस्तुत किया गया जिसे सामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 के बयानों को कलमबद्ध किया गया। प्रतिवादी साक्ष्य ओर पेश नहीं करने पर साक्ष्य को पत्रावली में बंद किया गया, तथा पत्रावली को अंतिम बहस से नियत किया गया।

हमने विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस को विस्तारपूर्वक सुना तथा उस पर ध्यानपूर्वक मनन किया। हमने वादपत्र, पत्रावली, साक्ष्य शपथ पत्रों तथा प्रदर्शित दस्तावेजों का अध्ययन एवं अवलोकन किया।

प्रस्तुत वादपत्र में वादीगण द्वारा निवेदन किया कि वादी संख्या 01 के खसरा संख्या 142/6 के वर्तमान रकबा को 06–10 बीघा के स्थान पर 10–01 बीघा, खसरा संख्या 144/3 रकबा 22–09 बीघा के स्थान पर 15–04 बीघा, खसरा संख्या 144/6 रकबा 04–10 बीघा के स्थान पर 08–04 बीघा किया जावे तथा वादी संख्या 02 के खसरा संख्या 142/5 रकबा 2–19 बीघा के स्थान पर 01–03 बीघा, खसरा संख्या 144/2 रकबा 30–09 बीघा के स्थान पर 32–06 बीघा किया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 01 के खसरा संख्या 142/7 रकबा 20–00 बीघा के स्थान पर 18–05 बीघा, खसरा संख्या 144/4 रकबा 13–09 बीघा के स्थान पर 15–04 बीघा दर्ज किया जावे एवं इसी अनुरूप उक्त सातों खसरों के क्षेत्रफल एवं सीमाओं में आपस में परिवर्तन करके एक चक किया जावे। अर्थात् वादपत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट "ए" के भाग–"01" के अनुसार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करते हुए परिशिष्ट "ए" के भाग "2" के अनुसार लट्ठे/नक्शे में इन्द्राज किया जावे।

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 के वादपत्र, जवाबदावा एवं संलग्न दस्तावेजों के अनुसार वादी संख्या 01 के नाम वर्तमान राजस्व रेकर्ड में 33–09 बीघा आराजी दर्ज है तथा यदि सीमाओं तथा क्षेत्रफल को परिवर्तित किया जाता है तो परिवर्तन के पश्चात् वादी संख्या 01 के नाम 33–09 बीघा आराजी रहेगी अर्थात् कुल क्षेत्रफल में किसी प्रकार का अंतर नहीं होगा बल्कि किसी खसरा विशेष का क्षेत्रफल/सीमा कम होगा तो उसी अनुपात में दूसरे खसरे का क्षेत्रफल/सीमा में वृद्धि/बढ़ोतरी होगी अर्थात् कुल राजस्व अभिलेखों में समान ही रहेगा। इसी प्रकार वादी संख्या 02 तथा प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक के पास 33–09 बीघा आराजी दर्ज राजस्व रेकर्ड है तथा सीमा/क्षेत्रफल परिवर्तन पश्चात् कुल क्षेत्रफल स्थिर ही 33–09 बीघा रहेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2023.02.14 11:48:00 IST
Reason: SelfAttested

03/02/23

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

हस्तगत प्रकरण के सम्यक् निर्णयन के लिए हम यहां पर धारा 49, 89(ख) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 का उल्लेख करना उचित/विधिसंगत समझते हैंः—

"49 समेकन के लिए विनियम —(1) कोई खातेदार अभिधारी जो ऐसे किसी क्षेत्र का जिसे वह जोतता है, समेकन करना चाहे तो वह सहायक कलक्टर से उस भूमि के जिसे वह जोतता है किसी भाग का किसी अन्य खातेदार अभिधारी द्वारा जोती जाने वाली भूमि से विनिमय करने के लिए आवेदन कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन पत्र प्राप्त होने पर यदि सहायक कलक्टर का, विहित रीति से जांच करने के पश्चात् समाधान हो जाए कि युक्तियुक्त आधार विद्यमान है तो वह ऐसे आवेदन को पूर्ण या आंशिक रूप से मंजूर कर सकेगा और आवेदक द्वारा जोती जाने वाली ऐसी भूमि जो मूल्य में आवेदक द्वारा प्राप्त की जाने वाली भूमि के लगभग समान और वैसी है गुणात्मकता वाली हो, दूसरे अभिधारी को आवंटित कर सकेगा"

"89. अभिधृति के वर्ग आदि के बारे में वाद—अभिधृति के जारी रहने के दौरान किसी भी समय, अभिधारी या राज्य सरकार से भिन्न भू—धारक निम्नलिखित सब विषयों या उनमें से किसी के बारे में घोषणा के लिए वाद ला सकेगा, अर्थात् (ख) जोत का क्षेत्रफल, उसके संख्याकित भूखण्ड या उसकी सीमाएं"

प्रदर्श पी—01, प्रदर्श पी—05 एवं प्रदर्श पी—08 के अध्ययन से स्पष्ट है वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 142/6, 144/3, 144/6, 142/5, 144/2, 142/7 एवं 144/4 की भूमि वर्गीकरण सभी का बारानी दोयम है। अर्थात् समेकित की जाने वाली आराजी के सभी खसरों की गुणात्मकता/किस्म एक ही प्रकार की है। धारा 89(ख) के अनुसार जोत के क्षेत्रफल और उसकी सीमाओं के परिवर्तन हेतु "सहायक कलक्टर" का न्यायालय सक्षम है। साथ ही हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01 एवं वादीगण धारा 49 एवं 89(ख) के तहत् चकबंदी तथा क्षेत्रफल/सीमाओं के परिवर्तन हेतु सहमत है अर्थात् इन्हें किसी प्रकार का उज्र/एतराज नहीं है। अर्थात् संबंधित खसरान के खातेदार/काश्तकारों को कोई आपत्ति नहीं है।

अतः उपर्युक्त समग्र विवेचन के आलोक में हम निम्न प्रारूप में परिवर्तन करना उचित एवं विधिसंगत समझते हैं।

क्र.सं.	नाम	राजस्व रिकॉर्ड अनुसार		प्रस्तावित रकबा बरंग		
		खसरा नम्बर	रकबा	रकबा बीघा हैक्टेयर		बरंग
1	मोटाराम पुत्र अलसाराम वादी संख्या 01	142/6	[illegible]	10—01	1.6268	लाल
		144/3	[illegible]	[illegible]	2.4605	
		144/6	4—10	8—04	1.3274	
	योग	3	33—09	33—09	5.4147	
2	मानाराम पुत्र अलसाराम वादी संख्या 02	142/5	2—19	1—03	0.1862	हरा
		144/2	30—10	32—06	5.2285	
	योग	2	33—09	33—09	5.4147	

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2023.02.14 11:18:00 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) जिला-बाड़मेर

03/02/23
सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

3	लाखाराम पुत्र अलसाराम प्रति. सं. 01	142/7	20–00	18–05	2.9542	गुलाबी
		144/4	13–09	15–04	2.4605	
	योग	2	33–09	33–09	5.4147	

तथा इसी अनुरूप खसरा संख्या 142/5 के रकबा को 2–19 बीघा के स्थान पर 01–03 बीघा अर्थात् खसरा संख्या 142/5 के रकबा को 01–16 बीघा कम करना उचित समझते हैं। इसी प्रकार खसरा संख्या 142/7 रकबा को 20–00 बीघा के स्थान पर 18–05 बीघा अर्थात् खसरा संख्या 142/7 के रकबा को 01–15 बीघा कम करना उचित समझते हैं। इसी प्रकार खसरा संख्या 142/6 के रकबा को 06–10 बीघा के स्थान पर 10–01 बीघा अर्थात् खसरा संख्या 142/5, 142–7 से कम किए गए रकबा क्रमशः 01–16, 01–15 कुल 03–11 बीघा रकबा को खसरा संख्या 142/6 में जोड़ना उचित एवं विधिसंगत समझते हैं एवं खसरा संख्या 144/3 के रकबा को 22–09 बीघा के स्थान पर 15–04 बीघा अर्थात् खसरा संख्या 144/3 के रकबा को 07–05 बीघा कम करना उचित एवं विधिसंगत समझते हैं। इसी प्रकार खसरा सं. 144/2 के रकबा को 30–10 बीघा के स्थान पर 32–06 बीघा करना उचित समझते हैं अर्थात् खसरा संख्या 144/3 के रकबा को 07–05 बीघा कम करते हुए इसे खसरा सं. 144/2 में जोड़ना उचित समझते हैं। इसी प्रकार खसरा संख्या 144/2 में जोड़ना उचित समझते हैं। इसी प्रकार खसरा संख्या 144/2 में से 3–14 बीघा रकबा खसरा संख्या 144/6 में जोड़ना एवं खसरा संख्या 144/2 में से 01–15 बीघा रकबा कम करते हुए खसरा संख्या 144/4 में 01–15 बीघा रकबा जोड़ना उचित एवं विधिसंगत समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादीगण अंतर्गत धारा 49, 89(ख), 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 142/5 के रकबा को 2–19 बीघा के स्थान पर 01–03 बीघा अर्थात् खसरा संख्या 142/5 के रकबा को 01–16 बीघा कम करना उचित समझते हैं। इसी प्रकार खसरा संख्या 142/7 रकबा को 20–00 बीघा के स्थान पर 18–05 बीघा अर्थात् खसरा संख्या 142/7 के रकबा को 01–15 बीघा कम करना उचित समझते हैं। इसी प्रकार खसरा संख्या 142/6 के रकबा को 06–10 बीघा के स्थान पर 10–01 बीघा अर्थात् खसरा संख्या 142/5, 142–7 से कम किए गए रकबा क्रमशः 01–16, 01–15 कुल 03–11 बीघा रकबा को खसरा संख्या 142/6 में जोड़ना उचित एवं विधिसंगत समझते हैं एवं खसरा संख्या 144/3 के रकबा को 22–09 बीघा के स्थान पर 15–04 बीघा अर्थात् खसरा संख्या 144/3 के रकबा को 07–05 बीघा कम करना उचित एवं विधिसंगत समझते हैं। इसी प्रकार खसरा सं. 144/2 के रकबा को 30–10 बीघा के स्थान पर 32–06 बीघा करना उचित समझते हैं अर्थात् खसरा संख्या 144/3 के रकबा को 07–05 बीघा कम करते हुए इसे खसरा सं. 144/2 में जोड़ना उचित समझते हैं। इसी प्रकार खसरा संख्या 144/2 में जोड़ना उचित

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2023.02.14 11:18:00 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (भू.अ.) जिला-बाड़मेर

03/02/23
सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

समझते हैं। इसी प्रकार खसरा संख्या 144/2 में से 3–14 बीघा रकबा खसरा संख्या 144/6 में जोड़ना एवं खसरा संख्या 144/2 में से 01–15 बीघा रकबा कम करते हुए खसरा संख्या 144/4 में 01–15 बीघा रकबा जोड़ना उचित एवं विधिसंगत समझते हैं (वादीगण द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ट ए के भाग–2 में दर्शाए गए रंगों के अनुसार)

क्र.सं.	नाम	राजस्व रिकॉर्ड अनुसार		प्रस्तावित रकबा बरंग		
		खसरा नम्बर	रकबा	रकबा बीघा हैक्टेयर		बरंग
1	मोटाराम पुत्र अलसाराम वादी संख्या 01	142/6	6–10	10–01	1.6268	लाल
		144/3	22–09	15–04	2.4605	
		144/6	4–10	8–04	1.3274	
	योग	3	33–09	33–09	5.4147	
2	मानाराम पुत्र अलसाराम वादी संख्या 02	142/5	2–19	1–03	0.1862	हरा
		144/2	30–10	32–06	5.2285	
	योग	2	33–09	33–09	5.4147	
3	लाखाराम पुत्र अलसाराम प्रति. सं. 01	142/7	20–00	18–05	2.9542	गुलाबी
		144/4	13–09	15–04	2.4605	
	योग	2	33–09	33–09	5.4147	

तहसीलदार धोरीमन्ना को निर्देशित किया जाता है कि इसी अनुरूप राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद करें। वादपत्र इसी मुताबिक डिक्री किया जाता है, पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो, जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णीत होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

03/02/23

(लाखाराम RAS)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना
(जिला–बाड़मेर)

निर्णय आज दिनांक–03/02/23 को सर–ए–इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2023.02.14 11:18:00 IST
Reason: SelfAttested

03/02/23

(लाखाराम RAS)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना
(जिला–बाड़मेर)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :–सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी मुकाम धोरीमन्ना (बाड़मेर)
बईजलास :–श्री लाखाराम, आर.ए.एस.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
3. मोटाराम पुत्र अलसाराम 4. मानाराम पुत्र अलसाराम, सभी जातियान जाट, निवासी आदर्श लूखू, तहसील– धोरीमन्ना, जिला–बाड़मेर।		5. लाखाराम पुत्र अलसाराम, जाति–जाट, निवासी–आदर्श लूखू, तहसील–धोरीमन्ना, जिला–बाड़मेर, राजस्थान। 6. शाखा प्रबंधक, जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा धोरीमन्ना, तहसील–धोरीमन्ना। 7. शाखा प्रबंधक दी सैन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा धोरीमन्ना, तहसील–धोरीमन्ना। 8. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार, धोरीमन्ना, जिला–बाड़मेर, राजस्थान।

मुकदमा नम्बर :– 42/2022
दावा बाबत् :– राजस्व वाद अंतर्गत धारा 49, 89(ख), 188 एवं 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 वास्ते चकबंदी (अदला–बदली), क्षेत्रफल व सीमाएं परिवर्तन, स्थायी निषेधाज्ञा।

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल फतई रू–ब–रू पक्षकारान व हाजरी उपस्थित मिनजानिब मुदई वादीगण वकील उपस्थित एवं प्रतिवादीगण वकील उपस्थित राज पेरोकार तहसीलदार धोरीमना मनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादीगण अंतर्गत धारा 49, 89(ख), 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 142/5 के रकबा को 2–19 बीघा के स्थान पर 01–03 बीघा अर्थात् खसरा संख्या 142/5 के रकबा को 01–16 बीघा कम करना उचित समझते हैं। इसी प्रकार खसरा संख्या 142/7 रकबा को 20–00 बीघा के स्थान पर 18–05 बीघा अर्थात् खसरा संख्या 142/7 के रकबा को 01–15 बीघा कम करना उचित समझते हैं। इसी प्रकार खसरा संख्या 142/6 के रकबा को 06–10 बीघा के स्थान पर 10–01 बीघा अर्थात् खसरा संख्या 142/5, 142–7 से कम किए गए रकबा क्रमशः 01–16, 01–15 कुल 03–11 बीघा रकबा को खसरा संख्या 142/6 में जोड़ना उचित एवं विधिसंगत समझते हैं एवं खसरा संख्या 144/3 के रकबा को 22–09 बीघा के स्थान पर 15–04 बीघा अर्थात् खसरा संख्या 144/3 के रकबा को 07–05 बीघा कम करना उचित एवं विधिसंगत समझते हैं। इसी प्रकार खसरा सं. 144/2 के रकबा को 30–10 बीघा के स्थान पर 32–06 बीघा करना उचित समझते हैं अर्थात् खसरा संख्या 144/3 के रकबा को 07–05 बीघा कम करते हुए इसे खसरा सं. 144/... उचित समझते हैं। इसी प्रकार खसरा संख्या 144/2 में जोड़ना उचित समझते हैं ... खसरा संख्या 144/2 में से 3–14 बीघा रकबा खसरा संख्या 144/6 में जोड़ना ... खसरा संख्या 144/2 में से 01–15 बीघा रकबा कम करते हुए खसरा संख्या 144/4 में 01–15 बीघा रकबा जोड़ना उचित एवं विधिसंगत समझते हैं (वादीगण द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ट–1 के भाग–2 में दर्शाए गए रंगों के अनुसार)

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2023.02.14 11:48:00 IST
Reason: SelfAttested

03/02/23
सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

क्र.सं.	नाम	राजस्व रिकॉर्ड अनुसार		प्रस्तावित रकबा बरंग		
		खसरा नम्बर	रकबा	रकबा बीघा हैक्टेयर		बरंग
1	मोटाराम पुत्र अलसाराम वादी संख्या 01	142/6	6–10	10–01	1.6268	लाल
		144/3	22–09	15–04	2.4605	
		144/6	4–10	8–04	1.3274	
	योग	3	33–09	33–09	5.4147	
2	मानाराम पुत्र अलसाराम वादी संख्या 02	142/5	2–19	1–03	0.1862	हरा
		144/2	30–10	32–06	5.2285	
	योग	2	33–09	33–09	5.4147	
3	लाखाराम पुत्र अलसाराम प्रति. सं. 01	142/7	20–00	18–05	2.9542	गुलाबी
		144/4	13–09	15–04	2.4605	
	योग	2	33–09	33–09	5.4147	

तहसीलदार धोरीमन्ना को निर्देशित किया जाता है कि इसी अनुरूप राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद करें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णीत होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

नीज..............–...............मुबलिक...................–.............बाबत्.....–.........खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर.....–.........फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–.............को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 03/02/23 को सरे ईजलास जारी किया गया।

मोहर

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

03/02/23

(लाखाराम RAS)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना
(जिला–बाड़मेर)

सहायक कलक्टर धोरीमन्ना

Signature Not Verified

Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2023.02.14 11:18:00 IST
Reason: SelfAttested